International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 9 Issue 6 Ser. V || June. 2020 || PP. 71-74

संसदीय लोकतंत्र में विधायिका व प्रेस की भूमिका

नंदराम खटीक
सह आचार्य, राजनीतिक विज्ञान,बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर,राजस्थान, 301001

सार संक्षेप
लोकतंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मीडिया और विधायकों के बीच एक प्रभावी संबंध एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। विधायिका और मीडिया के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि वे दोनों लोकतंत्र को मजबूत करने के एक ही लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं, भले ही उनके तरीके अलग–अलग हों। इसे हासिल करना तभी संभव है जब दोनों के पास ज्ञान, समझ और एक–दूसरे की भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों की सराहना हो। प्रेस को ऐसा कुछ भी प्रकाशित करने से बचना चाहिए जो समाज में सांप्रदायिक, कट्टरपंथी, जातीय और अन्य सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सके। मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में संसद और विधान मण्डल ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील संस्थाएँ हैं जो जनादेश से प्राप्त बहुमत से संचालित होती हैं. लेकिन संसदीय व्यवस्था में अल्पमत का भी विशेष महत्व है। मतदान द्वारा सत्तापक्ष के विरोध में जनता का मतदान इस बात का प्रमाण है कि किसी बहुमत दल को अल्पमत में बदलते समय मतदाता अपने को शक्तिशाली महसूस करता है। संसदीय लोकतात्रिक प्रणाली अपनाने वाले देशों में विधायकों के उस समूह को विपक्ष के रूप में संबोधित किया जाता है जिसे आम चुनावों में बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता तथा जो बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ दल से भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। संसदीय लोकतंत्र में एक से अधिक दलों का होना आवश्यक है। जिस प्रकार कोई भी गाड़ी बिना दो पहियों के सफलतापूर्वक संचालित नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र में सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य है इसलिए संसदीय लोकतंत्र में शासक दल का दायित्व जहां सरकार चलाने का होता है । वहीं प्रतिपक्ष का कार्य यह देखना है कि सरकार अपने मार्ग से विमुख नहीं हो बल्कि लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रति कटिबद्ध रहे। विपक्ष की आलोचना सरकार की नीतियों तथा जनमत के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। विपक्ष की आलोचनाएँ सरकार को अपनी नीतियों जनमत के अनुरूप बनाने के लिए बाध्य करती है लेकिन यह जरूरी है कि सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष में किसी–न–किसी प्रकार का सामंजस्य बना रहे। यह तभी सम्भव है जब दोनों एक–दूसरे के प्रमुख कर्तव्यों को मान्यता दें।

मुख्य बिन्दु :– लोकतंत्र , प्रेस , मीडिया , संसद की भूमिका , संसदीय कार्यवाही , विधानसभा एवं निष्कर्ष ।

परिचय :–

एक संसदीय लोकतंत्र में, विधायिका और प्रेस की एक सामान्य जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों के कल्याण के लिए काम करें – विधायिका विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करके और प्रेस को लोगों को विचार–विमर्श के बारे में उचित रूप से सूचित करके। प्रभावी और कुशल तरीके से अपनी महती जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होने के लिए, इन दोनों संस्थानों को भाषण और अभिव्यक्ति की अपेक्षित स्वतंत्रता के साथ निहित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, विधायिका कई प्रकार की भूमिकाएँ निभाने वाली एक बहु–आयामी और बहु–कार्यात्मक संस्था बन गई है। यह वह मंच है जहां जन शिकायतों के निवारण के लिए समाधान ढूंढे जाते हैं और सामूहिक विवेक के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। विधायी कार्यवाहियों तक पहुंच प्राप्त करने के बाद, मीडिया ने विधानमंडल और लोगों के बीच प्रमुख संचार कड़ी होने की भूमिका ग्रहण कर ली है। यह लोगों को बताता है कि विधानमंडल में क्या हो रहा है और उन्हें सरकार की विभिन्न नीतियों, विधानों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करता है। मीडिया के माध्यम से ही विधायिका जनता की प्रतिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी एकत्र करती है, जो उसे सरकार पर निगरानी रखने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती है। 20 वीं शताब्दी के अंतिम कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तदनुसार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के माध्यम से राजनीतिक या विधायी घटनाओं आदि की रिपोर्टिंग में एक कायापलट परिवर्तन आया है। विधायी कार्यवाहियों के टेलीविजन प्रसारण ने विधानमंडल की संस्था को लोगों के करीब लाने में मदद की है।

उद्देश्य :–

1 . संसदीय लोकतंत्र में विधायिका व प्रेस की भूमिका का अध्ययन करना ।
2. लोकतंत्र में संसद व विधानसभा की भूमिका को समझना ।

परिकल्पना :–

संसदीय लोकतंत्र में संसद व विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।

आंकड़ो के स्त्रोत :–

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया गया । आंकड़ो का संग्रह प्रकाशित रिपोर्ट , मीडिया , वेबसाइट व पुस्तकों के माध्यम से किया गया है ।

प्रेस की आज़ादी :–

दुनिया भर के अन्य लोकतंत्रों की तरह, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी प्रेस की स्वतंत्रता को उचित महत्व दिया गया है। हालांकि यह भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत नागरिकों को गारंटीकृत "भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मौलिक अधिकार में निहित है। कई न्यायिक घोषणाओं द्वारा यह तय किया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र वी यूनियन ऑफ इंडिया (।प् 1985ै ब) में सुप्रीम कोर्ट ने कहाः

अभिव्यक्ति 'प्रेस की स्वतंत्रता' का प्रयोग अनुच्छेद 19 में नहीं किया गया है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के भीतर समझा गया है। प्रेस का उद्देश्य तथ्यों और विचारों को प्रकाशित करके सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना है, जिसके बिना एक लोकतांत्रिक मतदाता जिम्मेदार निर्णय नहीं ले सकते।

शब्द "भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" में न केवल अपने विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है बल्कि उन मामलों को प्रिंट करने का अधिकार भी शामिल है जो किसी और से उधार लिए गए हैं या उस व्यक्ति के निर्देश के तहत मुद्रित किए गए हैं और इसमें शामिल होने की स्वतंत्रता भी शामिल है।

प्रकाशन और प्रसार :–

विधायिका और जनता के बीच संचार के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में, लोगों को सही समाचार और सही तथ्यों की जानकारी देना प्रेस का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। जनता विधानमंडल के अंदर होने वाली घटनाओं की तथ्यात्मक रिपोर्टों से प्रभावित होती है। सूचना प्रसारित करने का प्रमुख और प्रमुख माध्यम होने के नाते प्रेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कुछ भी छपता है उसमें सत्यता की पहचान होनी चाहिए।

संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन :–

संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को संविधान के तहत किसी भी अदालत की कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गई है, यदि इस तरह का प्रकाशन अनुच्छेद 105(2) के तहत सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके तहत किया जाता है। संसद के संबंध में संविधान और राज्य विधानसभाओं के मामले में अनुच्छेद 194(2)। तथापि, यह उन्मुक्ति समाचार पत्रों में संसदीय कार्यवाहियों की रिपोर्ट के प्रकाशन पर लागू नहीं होती है, चाहे वह सभा के किसी सदस्य द्वारा प्रकाशित की गई हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जब तक कि ऐसा प्रकाशन किसी भी सदन द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो। संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1977 के तहत ' ,संसद के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की काफी हद तक सही रिपोर्ट के वायरलेस टेलीग्राफी द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन या प्रसारण के लिए वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, बशर्ते रिपोर्ट जनता की भलाई के लिए हो और दुर्भावना से प्रेरित न हो। बाद में, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 के माध्यम से 26.6.1979 से अनुच्छेद 361ए को सम्मिलित करके भारत के संविधान में प्रावधान जोड़ा गया । संविधान का अनुच्छेद 361ए जो ऐसे प्रकाशनों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, निम्नानुसार प्रदान करता हैः

(1) संसद के किसी भी सदन या विधान सभा की किसी भी कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही के लिए कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा, या जैसा भी मामला हो राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन हो सकता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है । बशर्ते कि इस खंड की कोई भी बात संसद के किसी भी सदन या विधान सभा, या, जैसा भी मामला हो, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी।

(2) खंड (1) किसी प्रसारण स्टेशन के माध्यम से प्रदान किए गए किसी कार्यक्रम या सेवा के हिस्से के रूप में वायरलेस टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या मामलों के संबंध में लागू होगा क्योंकि यह एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या मामलों के संबंध में लागू होता है। स्पष्टीकरण – इस लेख में 'अखबार' में एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट शामिल है जिसमें समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री शामिल है।

लोकतंत्र में संसद एवं विधान मण्डल की भूमिका :–

सरकार का काम शासन करना है तथा विपक्षी दलों का काम आलोचना करना। यह सिद्धान्त जनमत का प्राण है। वास्तव में विपक्षी दल तथा सरकार दोनों के समझौते द्वारा ही सदन की कार्यवाही चलती है अल्पमत इस बात से सहमत हो जाता है कि बहुमत को शासन करना है तथा बहुमत इस बात को स्वीकार करता है कि अल्पमत को आलोचना करने का अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए पारस्परिक सहिष्णुता जरूरी है इसके अभाव में संसदीय शासन प्रणाली में गतिरोध पैदा हो जाता है। विपक्ष जनमत को जाग्रत तथा शिक्षित करता है। वह आम नागरिकों को अपने विचारों को निर्भीकता तथा स्वतंत्रता से व्यक्त करने के योग्य बनाता है। दलीय स्वतंत्रता विपक्ष के अभाव में खोखली, अर्थहीन तथा केवल सैद्धान्तिक बन कर रह जाती है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है जो विपक्ष के अभाव में समाप्त हो जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई है, विपक्ष उसी प्रक्रिया का एक अभिन्न एवं अपरिहार्य अंग है। संसदीय लोकतंत्रीय सरकार विपक्ष के बिना नहीं चल सकती, चाहे वह विपक्ष एक पार्टी का हो या एकाधिक राजनीतिक दलों का समूह। सच तो यह है कि विपक्ष जितना कमजोर होगा, सरकार उतनी ही निरंकुश होगी और विपक्ष जितना शक्तिशाली होगा, सरकार भी उतनी ही सतर्क और

जनकल्याण के प्रति जागरूक होगी। विपक्ष का वास्तविक उद्देश्य अगले चुनाव में सत्ता प्राप्त करना होता है। इसके लिए वह सतत रूप से जागरूक रह कर सरकार के प्रस्तावों का परीक्षण करता है, नीतियों की आलोचना करता है और सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों की अन्वेषणात्मक समीक्षा करता है। एक प्रभावशाली विपक्ष सरकार की कार्यशैली की हर दृष्टि से आपत्ति करते हुए उसे निरंकुश बनने से रोकता है। विपक्ष द्वारा सफलतापूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन के कारण ही आम जनता चुनावों में इसके कार्यों और नीतियों के आधार पर उसे बहुमत प्रदान कर सकती है और राज्य हित के महत्त्वपूर्ण मामलों में सत्तारूढ़ दल भी विपक्ष से परामर्श करने में भी पीछे नहीं रहता। संसदीय प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष शासन के मुखिया का सदैव विरोध ही नहीं करता, वह उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता भी करता है। मुख्य प्रशासक के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों के कारण यह सम्भव है कि वह जाने–अनजाने किसी क्षेत्र व परिस्थिति में संविधान की व्यवस्थाओं व भावनाओं के उल्लंघन के प्रति ध्यान न दे सके। संविधान के रक्षक को ऐसी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का कार्य विपक्ष द्वारा किया जाता है और इस प्रकार वह सरकार की भाँति ही संविधान की रक्षा के प्रति अपने दायित्यों का निर्वहन करता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष ने विधान मण्डलों के अंदर ही नहीं, बल्कि सदन के बाहर भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारम्भ के 30 वर्षों में विपक्ष जहाँ सत्तापक्ष के विरोध तक ही सीमित रहा लेकिन इस दौर के बाद स्वयं सत्तापक्ष की असफलताओं ने विपक्ष को कम से कम तीन बार सत्ता संभालने का मौका दिया और उसने यह सिद्ध कर दिखाया, चाहे थोडी समय के लिए ही सही, कि वह ब्रिटेन के शाही विपक्ष की तरह शासन का एक प्रभावी विकल्प है। बरसों से एकछत्र शासन कर रही कांग्रेस पार्टी को अपनी सही स्थिति का आभास हो गया। जनता यदि कभी एक दल को सत्ता सौंप सकती है तो दूसरी बार उससे सत्ता छीनकर अन्य दल या दलों को सत्ता सौंप सकती है। भारत में विपक्ष ने सत्ता पक्ष को यही सबक दिया है। विधान मण्डल में विपक्ष विभिन्न संसदीय विधाओं के अन्तर्गत जहां स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता पक्ष की जन विरोधी नीतियों को तर्कपूर्ण ढंग से उजागर करता है, वहीं कभी–कभी उसके द्वारा सदन से प्रसंगाधीन प्रकरण के विरोध में बहिर्गमन (वाकआउट) भी किया जाता है। इसके अलावा तारांकित प्रश्नों व अतारांकित प्रश्नों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घण्टे की चर्चा, विशेष उल्लेख आदि के माध्यम से विपक्ष अपना पक्ष रखते हुए गलत नीतियों को उजागर करता है। राजस्थान विधानसभा के गठन के बाद यहां सक्रिय राजनीतिक दलों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक सत्ताधारी दल एवं दूसरा प्रतिपक्षी राजनीतिक दल इनमें मुख्यतः राजस्थान विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख सत्तारूढ़ एवं प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों के रूप में स्थापित रही है। प्रतिपक्ष 1952, 1962 एवं 1967 में क्रमशः पहली तीसरी एवं चौथी विधानसभा में संख्यात्मक दृष्टि से काफी सशक्त रूप से उभर कर सामाने आया। चौदहवीं विधानसभा के चुनावों के अंतर्गत कांग्रेस को 21 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें प्राप्त हुई। इन चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और वह राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामेश्वर डूडी विपक्ष के नेता बने। यद्यपि इस विधानसभा में कांग्रेस को बहुत कम सीटें प्राप्त हुई लेकिन फिर भी कई मुद्दों पर विपक्ष ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया और सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध कई बार आवाज उठाकर जनमत को जाग्रत करने का कार्य किया। पंद्रहवीं विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस को 100 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार 15 वी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार का गठन हुआ। बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी 6 विधायकों ने अपना विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर लिया। इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के गुलाबचंद कटारिया विपक्ष के नेता बने। यह विधानसभा वर्तमान में कार्य कर रही है और इस दौरान विपक्ष ने अपनी सकारात्मक भूमिका से लगातार सदन को जीवंत बनाए रखा है। उन्होंने महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, पेयजल, कृषक वर्ग से जुड़े मुद्दे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता और अन्य समकालीन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और इस कारण सरकार भी इन संवेदनशील मुद्दों पर जनहितकारी और सकारात्मक फैसले लेने को बाध्य हुई है। राजस्थान की पहली से 15वीं विधानसभा तक हुए आम चुनावों में 10 बार कांग्रेस दल सत्तारूढ़ हुआ है तथा 5 बार कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रही है। पहली पाँच विधानसभाओं में तो कांग्रेस दल निरन्तर सत्तारूढ़ रहा। इसके बाद सातवीं विधानसभा (1980–85). आठवीं विधानसभा (1985–90) और ग्यारहवीं विधानसभा (1998–2003) में भी कांग्रेस ने शासन की बागडोर संभाली। इस कालावधि में गैर–कांग्रेसी दलों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया। श्रेष्ठ विधायक सम्मान, राज्यहित को सर्वोपरि मानते हुए शासकीय संकल्पों का सर्वसम्मति से पारण, विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष को सहयोग करने की स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के रूप में में उल्लिखित किया जायेगा तो सदन की कार्यवाही में बाधा डालना, सदन के नेता को बोलने से रोकना, सदन के बैल में हंगामा, धरना प्रदर्शन, अनशन आदि को अनुत्तरदायी तथा अनुचित साधनों के रूप में माना जायेगा। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि वह बुरी बातों को पहले ग्रहण करता है और अच्छी बातों को बाद में तथा बहुत कम ग्रहण करता है दुर्भाग्य से राजस्थान विधान सभा में विपक्षी दलों ने भी यही किया है, उसने दूसरे दल की नकारात्मक प्रवृत्तियों को सहजता से अंगीकार करते हुए उन्हें अपना प्रमुख अस्त्र बना लिया और अवसर आते ही स्वच्छंदता से उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया।

बल्कि प्रबुद्ध कुछ वर्षों से सदनों में सदस्यों के अमर्यादित व्यवहार तथा बैठकों के बार–बार होने वाले स्थगनों से आम आदमी के मन में ही नहीं, और चिन्तनशील व्यक्तियों के मन में भी इनकी छवि धूमिल हुई है। शालीनता, मर्यादा और श्रेष्ठ परम्पराओं को भुलाकर किये जाने वाले अशोभनीय आचरण के कारण सदनों का कामकाज बाधित होने से विधान मण्डलों के अमूल्य समय का अपव्यय तथा धन की बर्बादी होती है। संसदीय जीवन में आया यह अवमूल्यन यद्यपि क्षणिक है किन्तु उसके लिए सत्ता पक्ष भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि विपक्ष फिर भी 14वीं एवं 15वीं विधानसभा

में विपक्ष के द्वारा जनहित को ध्यान रखते हुए निभाई गई भूमिकाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 14वीं विधानसभा में विपक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और 15वीं विधानसभा में विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निवर्हन करते हुए एक सजग प्रहरी के रूप में सरकार के कार्यों की निगरानी की तथा अपनी क्षमता और सूझबूझ से परिपूर्ण रणनीतियों और व्यूहरचनाओं के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हुए विपक्ष के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध की है।

निष्कर्ष :–

हमारे निर्णय में सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए और इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के प्रावधान, जो सामान्य हैं, को अनुच्छेद 194 (1) और इसके खंड (3) के बाद के हिस्से के अनुरूप होना चाहिए। विशेष हैं। किसी सदस्य के भाषण के किसी भाग को निकालने के अध्यक्ष के आदेश का कानून में प्रभाव इस प्रकार हो सकता है मानो वह भाग बोला ही नहीं गया हो। ऐसी परिस्थितियों में पूरे भाषण की एक रिपोर्ट, हालांकि तथ्यात्मक रूप से सही है, कानून में, विकृत और विश्वासघाती रिपोर्ट के रूप में माना जा सकता है और एक भाषण की ऐसी विकृत और अविश्वासपूर्ण रिपोर्ट का प्रकाशन, यानी आदेशों के अपमान में निकाले गए अंशों को शामिल करना सदन में पारित अध्यक्ष के आदेश को प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक समाचार–वस्तु के प्रकाशन से उत्पन्न सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।

व्यापक रूप से परिभाषित करने के लिए पर्याप्त कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए कि मीडिया को क्या करने की अनुमति है और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। मीडिया नैतिकता को लागू करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद जैसी संस्थाएं सबसे प्रभावी हो सकती हैं। कई देशों में, प्रेस परिषदें मीडिया के खिलाफ शिकायतों की जांच करती हैं और फैसले देती हैं। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ प्रेस काउंसिल्स (डब्ल्यूएपीसी) हर देश में मीडिया को पत्रकारिता नैतिकता विकसित करने और मीडिया काउंसिल स्थापित करने के लिए राजी करने के अपने एजेंडे का सख्ती से पालन कर रही है। इस संबंध में, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत स्थापित भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और भारत में प्रेस के नैतिक मानकों को बनाए रखने और सुधारने के लिए कार्य करती है, और समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों के लिए एक आचार संहिता विकसित करती है। और पत्रकार। उनकी ओर से, विधायकों को भी मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए और साथ ही इसे समाज की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना चाहिए। मीडिया में लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने की अपार क्षमता है, जिसकी कई उभरते लोकतंत्रों को जरूरत है। यह नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में रुचि और सतर्क बना सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक संस्थान अधिक जिम्मेदार तरीके से कार्य करें। इस प्रकार, विधायक और मीडिया एक पूरक और सहयोगी तरीके से संलग्न हो सकते हैं। यह नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में रुचि और सतर्क बना सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक संस्थान अधिक जिम्मेदार तरीके से कार्य करें। इस प्रकार, विधायक और मीडिया एक पूरक और सहयोगी तरीके से संलग्न हो सकते हैं। यह नागरिकों को सार्वजनिक मामलों में रुचि और सतर्क बना सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक संस्थान अधिक जिम्मेदार तरीके से कार्य करें। इस प्रकार, विधायक और मीडिया एक पूरक और सहयोगी तरीके से संलग्न हो सकते हैं।

सन्दर्भ सूची :–

’ मूल रूप से यह कानून 1956 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। पांचवीं लोकसभा की अवधि के दौरान, 1976 में कानून को निरस्त कर दिया गया था। 1977 में कानून को फिर से लागू किया गया था।

’ एमएसएम शर्मा वी. श्री श्रीकृष्ण सिन्हा, (सर्च लाइट केस) एआईआर 1959 एससी 395।

’ रे में। केशव सिंह, एआईआर 1965 एससी 745, 1964 के राष्ट्रपति संदर्भ संख्या 1 के लिए,